भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3227

दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

एमडीए योजना

3227. श्री दयानिधि मारन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पृथ्वी की पर्यावरण बहाली, पोषण और बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना में शामिल विशिष्ट उपायों या प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एमडीए योजना से लाभान्वित होने वाले मौजूदा बायोगैस और संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों को किस प्रकार का समर्थन मिलने की संभावना है;

(ग) उक्त संयंत्रों के स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त संयंत्रों को मद-वार क्या लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रचालन में नहीं है और वर्ष 2017-18 से इस योजना के लिए कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया था। पूर्ववर्ती एमडीए योजना निर्यात संवर्धन को सुविधाजनक बनाने के लिए थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3442

<u>दिनांक 09 अगस्त,2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

भारतीय रुपये में व्यापार

3442. श्री संतोष कुमारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय रुपये में पड़ोसी देशों के साथ व्यापार शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ईरान और रूस के साथ भारतीय रुपये में आयात और निर्यात शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) जी हाँ।

<u>**श्रीलंका:**</u> श्रीलंका ने भारतीय रूपये को अपनी निर्दिष्ट विदेशी मुद्राओं की सूची में शामिल किया है। भारत में प्राधिकृत डीलर (एडी) बैंकों को रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व अनुमोदन से, श्रीलंका की आठ संबंधित बैंकों के रुपया वोस्ट्रो खाते भारत में संबंधित एडी बैंकों में खोले गए हैं।

<u>**नेपाल:**</u>भारत-नेपाल व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय रुपये में किया जा रहा है।

<u>**बांग्लादेश:**</u> भारत और बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से 11 जुलाई 2023 को भारतीय रुपये (आईएनआर) में व्यापार करने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। दो भारतीय और बांग्लादेशी बैंकों को आईएनआर में द्विपक्षीय व्यापार सैटल करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। ये भारत से एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक हैं; और बांग्लादेश से सोनाली बैंक पीएलसी और ईस्टर्न बैंक लिमिटेड है। आईएनआर में व्यापार को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए, 11 जुलाई, 2023 को पहले निर्यातक और आयातक के बीच उनकी बैंकों के माध्यम से औपचारिक 'साख पत्रों का आदान-प्रदान, अर्थात आईएनआर में एलसी दस्तावेज़' भी कार्यान्वित किया गया था।

<u>**भूटान:**</u> भारत और भूटान के बीच सभी द्विपक्षीय व्यापार पूरी तरह से आईएनआर में किया जाता है।

<u>**ईरान:**</u> भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार भुगतान को सुविधाजनक बनाने की एक व्यवस्था 5 नवंबर 2018 को पिछले सभी समझौतों का अधिक्रमण करते हुए, अपनाई गई थी।

<u>**रूस:**</u>रूस के साथ राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए रुपया व्यापार तंत्र शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय वाणिज्यिक बैंकों में विदेशी बैंकों द्वारा विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। 2 जुलाई, 2023 तक, आरबीआई ने 14 भारतीय वाणिज्यिक बैंकों में एसआरवीए खोलने के लिए विभिन्न रूसी बैंकों के 34 आवेदनों को मंज़ूरी दी है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3399

<u>दिनांक 09 अगस्त,2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

डेयरी और कृषि उत्पादों का निर्यात

3399. श्रीमती रंजीता कोली:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या **वाणिज्य और** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा डेयरी और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए बाजारों को खोलने के लिए कोई प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों को भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित में आयात-निर्यात नीतियों से लाभ प्राप्त करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी हां। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस (एफएओएसटीएटी) के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 में भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान देकर दुनिया में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत के दुग्ध उत्पादन में पिछले आठ वर्षों अर्थात वर्ष 2014-15 और 2021-22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 221.10 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है।

(ग) और (घ): डेयरी और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) तंत्र के तहत नियमित आधार पर चर्चा की जा रही है। इसका उद्देश्य 2023 में खाद्य और कृषि व्यापार मुद्दों पर बातचीत बढ़ाना और कृषि कार्य समूहों के साथ-साथ प्रासंगिक उप-समूहों के माध्यम से संबंधों में द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करने के लिए काम जारी रखना भी था। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, अल्बानिया, बोस्निया एण्ड हर्जेगोविना, ताइवान, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मलेशिया, बेलारूस, तुर्की, थाईलैंड, कोलंबिया, इक्वाडोर, दक्षिण कोरिया, इज़राइल आदि जैसे विभिन्न आयातक देशों के साथ संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के मुद्दों को उठाया गया है।

(ङ) और (च): सरकार द्वारा आयात-निर्यात नीतियों से लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : -

(i) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2021 से निर्यात प्रोत्साहन योजना "निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी)" शुरू की है। आरओडीटीईपी योजना के तहत , डेयरी उत्पादों के पात्र निर्यातकों को एफओबी मूल्य के 0.5% की अधिसूचित दर पर छूट दी जाती है।

(ii) सरकार गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं (डेयरी वस्तुओं सहित) के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाने और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए "निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी)" स्कीम जारी रखी है। इस योजना का उद्देश्य पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क रियायतें प्रदान करके निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

(iii) बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत, सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक छत्र संगठन के रूप में एक नई राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना की गई है। प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर तक की सहकारी समितियाँ जिनमें जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु-राज्य सहकारी समितियाँ शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। इस सोसायटी के माध्यम से किसानों के उत्पादों के निर्यात में सुविधा होगी और किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। सोसायटी को इफको, कृभको, नेफेड, जीसीएमएमएफ और एनसीडीसी द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।

(iv) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के संदूषण और जनता के स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की चिंताओं के कारण दुग्ध और दुग्ध उत्पादों (चॉकलेट और चॉकलेट उत्पादों और कैंडीज/ कन्फेक्शनरी / दुग्ध या दुग्ध के ठोस पदार्थ युक्त खाद्य तैयारी सहित) के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। उक्त प्रतिबंध को तब तक बढ़ा दिया गया जब तक कि डीजीएफटी की दिनांक 23.04.2019 की अधिसूचना संख्या 01/2015-20 के माध्यम से प्रवेश के बंदरगाहों पर सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता मेलामाइन परीक्षण के लिए उपयुक्त रूप से उन्नत नहीं हो जाती।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.3397**

वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

फलों और सब्जियों का निर्यात

3397. श्री धनुष एम.कुमार :

श्री जी.सेल्वम :

श्री सी.एन.अन्नादुरई :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की क्षमता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने में सरकार को किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) देश के समग्र निर्यात में फलों और सब्जियों का कितना योगदान है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अन्य देशों को फलों और सब्जियों के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या पिछले तीन वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में कतिपय फलों और सब्जियों के निर्यात में कमी आई है और यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य से बाहर निर्यात किए गए फलों के क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादन का कोई आंकड़ा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश से फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): भारत में फलों और सब्जियों का पर्याप्त उत्पादन होता है, लेकिन फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा निर्यातक बनने के हमारे प्रयास घरेलू उपभोग के विचारों से बंधे हैं, जो हमारी बड़ी

आबादी द्वारा शासित होते हैं। फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने में सरकार को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, वे सीमित निर्यात योग्य अधिशेष, बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे; आयातक देशों द्वारा अपनाए गए गैर-टैरिफ उपाय आदि हैं।

(ग): 2022-23 में देश के कुल निर्यात में फलों और सब्जियों का योगदान 0.74% था।

(घ): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान फलों और सब्जियों के निर्यात का विवरण इस प्रकार है:

मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-**24 (**अप्रैल-जून)
फल/सब्जी के बीज	125.16	113.34	118.42	37.50
ताज़ा फल	768.54	877.22	863.74	270.28
ताज़ी सब्जियां	723.97	815.26	924.92	204.50
प्रसंस्कृत सब्जियाँ	424.70	412.29	508.96	139.43
प्रसंस्कृत फल और जूस	695.56	778.30	908.09	178.30
कुल	**2737.93**	**2996.42**	**3324.13**	**830.01**
स्रोत:डीजीसीआई एण्ड एस				

(ड.): 2022-23 की तदनुरूप अवधि के दौरान 215.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान ताजे फलों का कुल निर्यात 270.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जिसमें 25.38% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार, ताजी सब्जियों के निर्यात में 2022-23 के दौरान 193.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 204.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ 5.7% की वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि, कुछ फलों और सब्जियों जैसे संतरे और खट्टे फल, सेब, टमाटर आदि के निर्यात में मुख्य रूप से उच्च माल ढुलाई और लॉजिस्टिक लागत और देशों, विशेष रूप से बांग्लादेश, जो निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य है, द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क के कारण गिरावट आई है।

(च) और (छ): पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु की प्रमुख फल फसलों का उत्पादन विवरण इस प्रकार है :

मात्रा. हजार मीट्रिक टन में

नाम	2020-21	2021-22	2022-23 (प्रथम अग्रिम अनुमान)
केला	3895.65	3953.67	4236.96
आम	639.64	943.37	943.37
तरबूज	315.19	454.66	454.66
अमरूद	92.61	363.07	363.07
खट्टे फल	63.26	241.84	241.84
पपीता	13.64	221.98	221.98
आंवला/करौंदा	173.93	205.70	205.70
कटहल	69.01	138.51	138.51
अन्य फल	170.95	244.70	244.70
कुल फल	**5433.87**	**6767.50**	**7050.79**

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

फलों एवं सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा अपनी निर्यात प्रोत्साहन योजना के विभिन्न घटकों अर्थात् निर्यात अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के तहत फलों और सब्जियों के निर्यातकों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। एपीडा क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित करके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करके आयातक देशों के साथ स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस), व्यापार में तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) और बाजार पहुंच के मुद्दे उठाकर; और विभिन्न देशों में निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारतीय मिशनों के साथ नियमित बातचीत करके फलों और सब्जियों सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यातकों की सहायता करता है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3380

दिनांक 09 अगस्त,2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध

3380. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
डॉ. जी रणजीत रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारत का ऊष्णा चावल वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान और अन्य देशों के चावल की तुलना में काफी सस्ता है;
(ख) यदि हां, तो क्या अफ्रीकी देश भारत से ऊष्ण चावल खरीदने के इच्छुक हैं;
(ग) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा तेलंगाना, ओडिशा जैसे राज्यों में उपलब्ध ऊष्णा चावल का निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है; और
(ङ) यदि हां, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीका और मध्य-पूर्व के देशों में भारतीय गैर-बासमती चावल की भारी मांग के बावजूद इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 08.09.2022 को बीज गुणवत्ता वाले धान (एचएस कोड-1006 10 10), सामान्य धान (एचएस कोड- 1006 10 90), ब्राउन राइस (एचएस कोड- 1006 2000) और गैर-बासमती सफेद चावल (एचएस कोड- 1006 30 90) पर 20% का निर्यात शुल्क अधिरोपित किया गया था। टूटे हुए चावल (एचएस कोड- 1006 40 00) के निर्यात को 08.09.2022 से "निषिद्ध" कर दिया गया था ताकि घरेलू

इथेनॉल कार्यक्रम और पोल्ट्री/पशु फ़ीड को इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तथापि, ऊष्णा चावल (एचएस कोड- 1006 30 10) और बासमती चावल (एचएस कोड- 1006 30 20) के निर्यात के लिए नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था अर्थात इसे 'मुक्त' रखा गया है और ऊष्णा चावल और बासमती चावल पर 20% निर्यात शुल्क अधिरोपित नहीं किया गया है।

टूटे चावल (25%) की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अनुसार, भारतीय मूल्य अभी भी वियतनाम, थाईलैंड और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय कीमत से सस्ता है। भारत वैश्विक बाजार में सबसे सस्ती दर पर चावल (टूटे अथवा सफेद अथवा ऊष्णा) प्रदान करता है। अफ्रीकी बाजार में भारतीय ऊष्णा चावल और टूटे चावल (25%) की मांग बढ़ रही है। अफ्रीकी देशों को ऊष्णा चावल का निर्यात 2021-22 में 1740.44 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2022-23 में 2052.52 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

इसी प्रकार, केन्या और मोजाम्बिक जैसे देशों में पूर्ण मिल्ड या सेमी-मिल्ड चावल (25% टूटा हुआ) के निर्यात में वृद्धि हो रही है। पूर्ण मिल्ड या सेमी-मिल्ड चावल (25% टूटा हुआ) का निर्यात भी 2021-22 में 1006.33 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1386.88 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

(ग): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एपीडा के माध्यम से तेलंगाना, ओडिशा आदि सहित सभी राज्यों से ऊष्णा चावल सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं :-

(i) यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए), जीएसीसी, चीन और सऊदी अरब में एसएफडीए जैसे आयातक देशों में विनियामक निकायों के साथ वार्ता।

(ii) आयातक देशों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन के प्रति व्यापार को सुग्राहीकृत बनाना।

(iii) निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से, उत्पादों और निर्यातकों की विस्तृत श्रृंखला को परीक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे भारत में 191 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई है।

(iv) एपीडा निर्यात परीक्षण और अवशिष्ट निगरानी योजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण में सहायता करता है।

(v) चावल सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा की अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास की वित्तीय सहायता स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

(vi) चावल के निर्यातोन्मुख उत्पादन के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति किसानों को सुग्राही बनाना।

(vii) एपीडा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी का आयोजन करता है जो निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने खाद्य उत्पादों का विपणन करने के लिए मंच प्रदान

करता है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा आहार, ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस, बायोफैच इंडिया आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। ।

(viii) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल सहित भारतीय उत्पादों की दृष्टिगोचरता को बढ़ाने के लिए एपीडा अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में प्रमुख खाद्य प्रदर्शनियों में नियमित भागीदारी करके आयातकों के साथ खाद्य उत्पाद निर्यातकों के बी-2-बी संबंध स्थापित करने में सक्षम रहा है। विगत में भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों की सक्रिय भागीदारी द्वारा उत्पाद विशिष्ट और सामान्य विपणन अभियानों के माध्यम से अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, दक्षिण अमेरिका में नए संभावित बाजारों का भी पता लगाया गया है।

(ix) एपीडा निर्यातों की आपूत आपूर्ति श्रृंखला में पणधारकों को सुग्राही बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता रहा है।

(घ) और (ङ): गैर-बासमती सफेद चावल (एचएस कोड-1006 30 90), जो 2021-22 और 2022-23 के दौरान निर्यात किए गए कुल चावल का लगभग 26.66% है, 08.09.2022 को 20% निर्यात शुल्क अधिरोपित किए जाने के बाद भी 33.66 एलएमटी (सितंबर-मार्च 2021-22) से बढ़कर 42.12 एलएमटी (सितंबर-मार्च 2022-23) हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून) के दौरान इस किस्म के चावल के 11.55 एलएमटी के निर्यात की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) में लगभग 15.54 एलएमटी निर्यात किया गया था, अर्थात निर्यात में 34.54% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, मानसून के आगमन में विलंब के कारण, वर्तमान खरीफ मौसम में दिनांक 09.07.2023 तक चावल के तहत बुवाई क्षेत्र में 13.26% की गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, रबी सीजन 2022-23 के दौरान, 2021-22 के रबी सीजन के दौरान 184.71 एलएमटी की तुलना में उत्पादन केवल 158.95 एलएमटी था, अर्थात 13.84% की गिरावट आई थी। इसके अलावा, अल नीनो की शुरुआत के संभावित प्रतिकूल प्रभाव की आशंका से एशिया में चावल की कीमतें बहुत उच्च स्तर तक बढ़ गई थीं। विगत एक वर्ष में भारतीय चावल (25% टूटा हुआ) और भारतीय चावल (5% टूटा हुआ) की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में क्रमशः लगभग 30% और 34% की वृद्धि हुई थी। उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए 20 जुलाई, 2023 से गैर-बासमती सफेद चावल (एचएस कोड- 1006 30 90) (सेमी-मिल्ड या पूर्ण मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया गया हो या चमकता हुआ हो: अन्य) के निर्यात पर "प्रतिबंध" लगा दिया है।

****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3362**
वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

चीन से आयात

3362. डॉ.टी.आर.पारिवेन्धर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीन से अरबों डॉलर के कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात के अलावा चीनी तैयार माल के आयात में वृद्धि से चिंतित है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल की सरकार की कार्यनीति को महत्वहीन बनाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान चीन से कुल कितने तैयार माल, कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात किया गया है और इन मदों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख): सरकार नियमित आधार पर आयात में वृद्धि की निगरानी करती है और घरेलू बाधाओं और आपूर्ति कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करती है। चीन से आयातित कुछ मध्यवर्ती और कच्चे माल जैसे सक्रिय फार्मास्युटिकल अन्तर्वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक संघटक, ऑटो संघटक इत्यादि का उपयोग तैयार उत्पाद बनाने के लिए भी किया जाता है जिन्हें भारत से बाहर भी निर्यात किया जाता है। डंपिंग, आयात में अचानक वृद्धि और अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उचित व्यापार उपचारी उपाय भी किए जाते हैं।

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने भारतीय निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, मुख्य सक्षमता/अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने, निर्यात बढ़ाने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एकीकृत करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से 14 कार्यनीतिक क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं।

(ग): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रमुख कमोडिटी समूहों में चीन से भारत के आयात का विवरण अनुबंध में देखा जा सकता है।

****

दिनांक 09.08.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतांराकित प्रश्न सं. 3362 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

<u>अनुबंध</u>

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रमुख कमोडिटी समूहों में भारत का चीन से आयात

मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में

क्र.सं.	वस्तु	2020-21	2021-22	2022-23
1	इलेक्ट्रॉनिक्स घटक	6191.32	12,929.33	8,198.67
2	कंप्यूटर हार्डवेयर, बाह्य उपकरण	5,305.97	8,164.45	7,254.67
3	दूरसंचार उपकरण	6476.1	6,909.56	6,815.48
4	जैविक रसायन	3483.37	5,891.19	6,443.51
5	डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	3940.03	5,204.14	6,278.33
6	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	2669.91	3,337.58	3,810.32
7	अवशिष्ट रसायन और सह उत्पाद	2683.67	3,477.59	3,766.08
8	प्लास्टिक का कच्चा माल	1160.07	2,473.50	3,538.13
9	विद्युत मशीनरी और उपकरण	2269.8	3,052.47	3,383.94
10	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	2384.9	3,073.19	3,223.12
11	थोक औषधियाँ, औषधि मध्यवर्ती	2,615.71	3,125.79	3,180.37
12	संचायक और बैटरियां	887.15	1,405.29	2,566.08
13	विनिर्मित उर्वरक	1537.75	2,943.64	2,333.87
14	मानव निर्मित सूत, कपड़े, मेड-अप्स	1163.92	1,765.96	2,030.09
15	लोहा और इस्पात	895.4	1,315.51	2,016.50
16	लोहा और इस्पात के उत्पाद	1,313.44	1,660.55	1,865.91
17	अन्य विविध इंजीनियरिंग मदे	940.68	1,442.39	1,833.58
18	एसी, रेफ्रिजरेशन मशीनरी आदि	1,252.29	1,595.28	1,801.94
19	ऑटो घटक/पार्ट्स	1,257.50	1,443.01	1,548.01
20	एल्युमीनियम, एल्युमीनियम के उत्पाद	770.08	1,073.79	1,450.33
21	क्रेन, लिफ्ट और चरखी	522.29	893.02	1,256.20
22	प्लास्टिक एसएचटी, फिल्म, पीएलटीएस आदि	751.26	1,136.78	1,177.61
23	अन्य वस्तुएँ	820.01	1,029.47	1,128.57
24	अन्य निर्माण मशीनरी	#एन/ए	859.03	1,107.09
25	अकार्बनिक रसायन	519.2	763.73	1,080.73
26	मशीन टूल्स	742.27	1,103.40	1,067.94
27	कांच और कांच के बर्तन	562.08	771.45	1,009.27
28	चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उपकरण	742.84	1,311.69	962.31
29	अन्य विविध रसायन	685.82	793.17	857.93
30	अन्य अलौह धातु और उत्पाद	449.54	797.91	853.5
31	कागज, पेपर बोर्ड और उत्पाद	373.23	518.98	792.12

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3332

दिनांक 09 अगस्त,2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय का निर्यात

3332. श्री राहुल कस्वां:

क्या **वाणिज्य और** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चाय के निर्यात में गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बाजार हिस्सेदारी कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो हुई वित्तीय हानि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा वैश्विक चाय बाजार में भारतीय चाय की बाजार हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए चाय की खेती करने वालों को अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) जी नहीं। भारत से चाय निर्यात और विश्व निर्यात में इसका हिस्सा अधोलिखित तालिका में दिया गया है -

वर्ष	भारत का निर्यात (मात्रा एम. किलोग्राम में)	विश्वनिर्यात (मात्रा एम. किलोग्राम में)	भारत का%	विश्वरैंक	निर्यात मूल्य (करोड़ रुपये)
2020	209.72	1831.21	11	4	5235.29
2021	196.54	1924.10	10	4	5311.15
2022	226.98	1830.97	12	4	6253.19

स्रोतःटीबोर्ड

भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड ने क्रेता-विक्रेता बैठकों की व्यवस्था करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने, प्रमुख बाजारों में जेनरिक संवर्धन करने और प्रचार कार्यक्रमों के संचालन के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ लगातार जुड़ने जैसी पहलें की हैं।

(घ) चाय विकास एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत चाय बोर्ड छोटे चाय उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा पत्ती शेड, गोदाम आदि जैसी सामान्य सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। छोटे चाय उत्पादकों द्वारा छोटे चाय कारखानों की स्थापना, और छोटे चाय उत्पादकों के किसान उत्पादक संगठनों द्वारा बड़े कारखाने स्थापित करने, जैविक चाय कारखानों की स्थापना और जैविक चाय कारखानों में मूल्य वर्धन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3287

दिनांक 09 अगस्त,2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

एमएमटीसी का विनिवेश

3287. श्री केसिनेनी श्रीनिवास:
क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मिनरल्स एंड मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएमटीसी) से इक्विटी शेयरधारिता के सरकार के रणनीतिक विनिवेश की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या एमएमटीसी घाटे में चल रहा केन्द्रीय उपक्रम है और यदि हां, तो चालू वर्ष के अनंतिम आंकड़ों सहित वित्त वर्ष 2012-13 से अब तक लाभ/हानि विवरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एमएमटीसी को बंद करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) क्या यह निर्णय नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों के समूह की समिति की सिफारिशों पर आधारित था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (ग), (घ) एवं (ड.) सरकार ने एमएमटीसी के कार्यनीतिक विनिवेश का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक एमएमटीसी का लाभ/हानि विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
लाभ/हानि	-70.62	18.64	47.91	54.86	57.06	48.84	81.43	-227.11

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
लाभ/हानि	-769.69	-241.93	1076.07

वर्तमान में, 2023-24 की लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3250

दिनांक 09 अगस्त,2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

श्रीअन्न का निर्यात

3250. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री अनुराग शर्माः
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री संगम लाल गुप्ताः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत से श्रीअन्न के निर्यात को सुविधाजनक बनाने, बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार श्रीअन्न निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है:

(घ) क्या सरकार लोगों को श्रीअन्न उपभोग के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास श्रीअन्न के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा, एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन स्कीम के तहत श्रीअन्न के अपने पंजीकृत निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। यह सहायता इस स्कीम के विभिन्न घटकों यथा: अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और विपणन विकास के तहत प्रदान की जाती है।

सरकार, वैश्विक बाजारों में भारतीय श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप्स, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, भारतीय मिशनों, संसाधकों, खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ साझेदारी का लाभ उठाने के लिए काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) की स्थापना की गई है। ईपीएफ हितधारकों को सहयोग करने, ज्ञान साझा करने और वैश्विक बाजरा बाजार में अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एपीडा आभासी क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम)करके, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करके, राज्य श्रीअन्न मिशन कार्यक्रमों के साथ सहयोग करके, एफपीओ बैठकें आयोजित करके अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के बीच क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन और ज्ञान साझा करने में भी सक्रिय रूप से लगा हुआ है।
अलग से एक बाजरा-विशिष्ट वेब पोर्टल विकसित किया गया है जिसमें श्रीअन्न, उसके स्वास्थ्य लाभ, उत्पादन और निर्यात आँकड़े, श्रीअन्न निर्यातक निर्देशिका आदि के बारे में जानकारी निहित है। एपीडा ने भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक व्यापक वैश्विक विपणन अभियान भी आयोजित किया है और तदनुसार 30 आयातक देशों और 21 श्रीअन्न उत्पादक राज्यों का ई-कैटलॉग जारी किया गया है।

श्रीअन्न के लिए एक वर्चुअल व्यापार मेला (वीटीएफ) विकसित किया गया है और इसे दुनिया भर के निर्यातकों और आयातकों के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो व्यापार सौदों पर बातचीत करने और संव्यवहार करने के लिए एक ही मंच प्रदान करता है। वीटीएफ 24X7, 365 दिन चालू है।

एपीडा ने बायोफैच - जर्मनी, गल्फूड - दुबई, नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट - यूएसए, इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक (आईएफई) और बीएसएम - यूके, एसआईएएल फूड - कनाडा, सियोल फूड एंड होटल - दक्षिण कोरिया आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भी भागीदारी का आयोजन किया है, जिसने निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में अपने श्रीअन्न उत्पादों को प्रस्तुत करना और बढ़ावा देना सुगम बनाया । एपीडा श्रीअन्न और मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयातक देशों में भारतीय मिशनों के साथ भी सहयोग कर रहा है।

(ग) वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के श्रीअन्न निर्यात का, उत्तर प्रदेश सहित, राज्य-वार विवरण अनुबंध में है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष (आईवाईएम)-2023 मनाने के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण लागू कर रही है। आईवाईएम-2023 की कार्य योजना उत्पादन और उत्पादकता, उपभोग, निर्यात बढ़ाने, मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने, ब्रांडिंग करने, स्वास्थ्य लाभ के लिए जागरूकता सृजन करने आदि की कार्यनीतियों पर केंद्रित है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावास द्वारा श्रीअन्न के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए मासिक गतिविधि के लिए साल भर की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए राज्य श्रीअन्न मिशन लागू कर रहे हैं।

भारत से श्रीअन्न के निर्यात को प्रोत्साहित करने, उत्पादकों को बाजार लिंकेज प्रदान करने, श्रीअन्न से संयोजकता प्रदान करने और विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के बीच श्रीअन्न के सेवन के लाभों के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए ग्लोबल मिलेट्स (श्रीअन्न) सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 18 से 22 मार्च 2023 तक किया गया था। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के 20,000 से अधिक विद्यार्थियो ने मूल्यवर्धित नवीन श्रीअन्न उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, जिन्हें कार्यक्रम में निदर्शित किया गया था, को देखने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लिया ।

सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के बीच श्रीअन्न की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों को सभी विभागीय प्रशिक्षणों/बैठकों में श्रीअन्न स्नैक्स और विभागीय कैंटीन में श्रीअन्न आधारित खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह दी गई है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भवनों में श्रीअन्न उत्पादों के लिए वेंडिंग मशीनें भी लगाई गई हैं ।

दिनांक 09.08.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3250 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

<u>अनुबंध</u>

वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के श्रीअन्न निर्यात का राज्य-वार विवरण		
मात्रा. एमटी में; मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में		
राज्य	**मात्रा**	**मूल्य**
गुजरात	78106.15	34.19
महाराष्ट्र	50486.43	24.07
बिहार	19917.76	5.53
पश्चिम बंगाल	12587.49	3.52
तेलंगाना	1680.25	3.30
तमिलनाडु	2952.63	2.48
आंध्र प्रदेश	1319.78	0.61
हरियाणा	301.59	0.42
कर्नाटक	429.25	0.35
मध्य प्रदेश	345.76	0.28
केरल	326.95	0.27
राजस्थान	405.71	0.26
उत्तर प्रदेश	112.14	0.11
पंजाब	50.64	0.07
अन्य राज्य	26.69	0.02
कुल	**169049.22**	**75.48**

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3224

<u>दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी हेतु समझौता

3224. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी (सीपीटीपीपी) के संदर्भ में भारत की भागीदारी समझौता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इससे संबंधित दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कोई योजना बनाई गई है क्योंकि सीपीटीपीपी ब्लॉक विश्व अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी करार (सीपीटीपीपी) ट्रांस पैसिफिक क्षेत्र के 11 देशों नामतः ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम के बीच एक मुक्त व्यापार करार है। यद्यपि, भारत ने सीपीटीपीपी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तथापि इसके अधिकांश सीपीटीपीपी देशों अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए)/अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) हैं। भारत इस समय कनाडा के साथ भी एक एफटीए पर वार्ता कर रहा है।

*****